A. N. COLLEGE, PATNA

Patliputra University, Patna

NAAC-Accredited Grade 'A+' with CGPA 3.36/4

College with Potential for Excellence (C.P.E.) Status by U.G.C.

Office of the Principal Mobile No.- 9431681603

Ref.... Date.... 21/06/2025

आवश्यक सूचना

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पत्रांक पी.पी.यू./आर/917 /2025 दिनांक 20/06/2025 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों तथा 31.03.2018 के बाद सेवानिवृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को सूचित करना है कि जिन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवां वेतनमान में वेतन बकाया वेतन अन्तर राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रधान सहायक को वेतन अन्तर राशि हेतु अपना आवेदन देंगे।

ज्ञातव्य है कि सातवां वेतन अन्तर राशि का भुगतान शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को हो गया है जिसका रेकर्ड महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध **है। कुछ शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन अन्तर राशि का भुगतान नहीं हुआ है जिनका वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापन नहीं हुआ था।**

ऐसे शिक्षक का भी सातवां वेतन अन्तर राशि का का दावा विपत्र महाविद्यालय कार्यालय से तैयार कर विश्वविद्यालय भेजा जाएगा जिनका इस अवधि में प्रोन्नति हुआ है तथा प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापन पत्र निर्गत हो चुका है।

विश्वविद्यालय से निर्देश है कि 10 दिन के अन्दर सभी दावा विपत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाय। अतः प्रधान सहायक सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का जिनका वेतन अन्तर राशि का भुगतान लंबित है का दावा विपत्र कार्यालय से तैयार कर विश्वविद्यालय भेजा जाय।

21.06.25

प्रभारी प्रधानाचार्य

21.6.25

0612-2540482
principal@ancpatna.ac.in
principalancollege@gmail.com
www.ancpatna.ac.in

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
PATLIPUTRA UNIVERSITY, PATNA

पत्र सं०–पी.पी.यू/R/917/2025 दिनांक–20/06/2025

H/A
21.06.25

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रभारी प्राचार्य
सभी अंगीभूत एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय
अंतर्गत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

विषय– शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया वेतन, वेतनान्तर एवं महंगाई भत्ता की गणना कर विपत्र प्रेषित करने के संबंध में।

प्रसंग– बिहार सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 15/जी 1–01/2025–2195, दिनांक 19.05.2025।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके महाविद्यालय में कार्यरत एवं 31.03.2018 के उपरांत सेवानिर्वित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का बकाया वेतन एवं वेतनान्तर या कोई अन्य बकाया भुगतान हेतु शेष रह गया है तो उन सभी कर्मियों के बकाये का गणना कर दो प्रति में विपत्र पठनीय आलेख के साथ प्रेषित किया जाय। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को किस कारणवश बकाये का भुगतान नहीं हुआ है इसका भी उल्लेख किया जाय। प्रधानाचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जाए की जो विपत्र प्रेषित किया जा रहा है उस विपत्र/अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। साथ ही साथ माह जुलाई 2022 से जून 2024 तक का अद्यतन संशोधित महंगाई भत्ता एवं परिवहन भत्ता के अंतर का विपत्र भी प्रेषित किया जाए।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि बकाये विपत्रों को 10 दिनों के अन्दर प्रेषित किया जाय ताकि वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा पूर्व अंकेक्षण कराने के उपरांत शिक्षा विभाग से भुगतान हेतु राशि की मांग किया जा सके।

20.06.2025
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय
पटना –800020

20/06/2025